

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या- 1/प्रा०आ०-0-3-23/2013-06/आ०प्र० दिनांक 15.05.2013 तथा विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के 1/प्रा०आ०-0-3-29/ 13-59(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 30.08.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्यशीर्ष - 02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-112- जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष -0002-जनसंख्या का निष्क्रमण विपत्र कोड एन० 2245021120002 मद में क्रमश 60.00 (साठ लाख), 50.00 (पचास लाख) तथा विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 62(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 13.09.13 द्वारा 40.00 (चालीस लाख) रुपये अर्थात कुल 150.00 (एक करोड़ पचास लाख) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसे इस कार्यालय के आदेश क्रमश: ज्ञापांक 692/आ०प्र० दिनांक 01.07.2013, ज्ञापांक 838/आ०प्र० दिनांक 03.08.13, ज्ञापांक 922/आ०प्र० दिनांक 22.08.13, ज्ञापांक 1113/आ०प्र० दिनांक 12.09.13 तथा ज्ञापांक 1137/आ०प्र० दिनांक 17.09.13 एवं ज्ञापांक 1407/आ०प्र० दिनांक 01.11.13 द्वारा कुल 128.50 (एक करोड़ अठाईस लाख पचास हजार) रुपये प्रभारी उप समाहर्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना तथा विभिन्न अंचलों को उपावटित किया गया है तथा अवशेष 21.50 (इक्कीस लाख पचास हजार) रुपये जिला में आवंटन के रूप में सुरक्षित है।

अंचल अधिकारी, पुनपुन को पूर्व में उपावटित राशि मो० 2.00 (दो लाख) रुपये उनके पत्रांक 1207 दिनांक 25.09.13 के माध्यम से आवंटन के रूप में प्रत्यार्पित किया गया है। अतः जिले में आवंटन के रूप में सुरक्षित 21.50 (इक्कीस लाख पचास हजार) रुपये तथा अंचल अधिकारी, पुनपुन द्वारा प्रत्यार्पित राशि 2.00 (दो लाख) रुपये अर्थात कुल 23.50 (तेईस लाख पचास हजार) रुपये में से 0.10850 (दस हजार आठ सौ पचास) रुपये अंचल अधिकारी, घोषवरी को निम्नरूपेण उपावटित किया जाता है :-

मांग संख्या - 39, विषय शीर्ष- 31 06 सहायक अनुदान वेदनादि के अलावा

(राशि :-लाख रुपये में)


क्रमांक	उपावटित पदाधिकारी का विवरण	पूर्व उपावंटन	वर्तमान उपावंटन	योग
01.	अंचल अधिकारी, मनेर	12.66	0.00	12.66
02.	अंचल अधिकारी, दानापुर	24.00	0.00	24.00
03.	अंचल अधिकारी, पालीगंज	0.90	0.00	0.90
04.	अंचल अधिकारी, बिहटा	1.50	0.00	1.50
05.	अंचल अधिकारी, पुनपुन	0.00	0.00	0.00
06.	अंचल अधिकारी, फतुहां	9.24	0.00	9.24
07.	अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर	9.00	0.00	9.00
08.	अंचल अधिकारी, पटना सदर	19.20	0.00	19.20
09.	अंचल अधिकारी, अथमलगोला	7.50	0.00	7.50
10.	अंचल अधिकारी, मसौढ़ी	0.50	0.00	0.50
11.	अंचल अधिकारी, सम्पतचक	0.25	0.00	0.25
12.	अंचल अधिकारी, फूलवारीशरीफ	0.25	0.00	0.25
13.	प्रभारी उप समाहर्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना।	31.50	0.00	31.50
14.	अंचल अधिकारी, मोकामा	5.50	0.00	5.50
15.	अंचल अधिकारी, बाढ़	4.00	0.00	4.00
16.	अंचल अधिकारी, खुसरूपुर	0.50	0.00	0.50
17.	अंचल अधिकारी, घोषवरी	0.00	0.10850	0.10850
कुल उपावटित राशि		126.50	0.10850	126.60850
जिला में आवंटन के रूप में सुरक्षित राशि				23.39150
कुल योग :-				150.00000

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्यशीर्ष - 02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-112- जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष -0002-जनसंख्या का निष्क्रमण विपत्र कोड एन० 2245021120002 मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. यह उपावंटन अंचल अधिकारी, घोषवरी के ज्ञापांक 507 दिनांक 13.11.13 के आलोक में बाढ़-2013 से प्रभावित होने वाले परिवारों को सुरक्षा एवं साहाय्य मुहैया कराने के निमित्त इस इकाई मद से उपबंधित व्ययों के लिए किया जा रहा है।
3. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।
4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।
5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[बी० (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।
6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2014 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे। अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
पटना।

- ज्ञापांक IV-02/2013 121 /आ०प्र०, दिनांक 21/01/2014
- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, घोषवरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।
- प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।


जिला पदाधिकारी,
पटना।